सरल कानूनी ज्ञान माला–37

# उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान संबंधी)

## उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : **slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com**

# कहानी पुलिस, अदालत व कानून की

हुकुम के पिता हाल ही में इस शहर में स्थानान्तरित होकर आये थे। एक दिन शाम को वह हुकुम को साथ लेकर पैदल–पैदल घूमने निकले। कुछ दूर चलने पर पड़ोस में रहने वाले हुकुम के मित्र नरेश व रमन भी मिल गये। वे सभी घूमते हुये एक भवन के सामने पहुंचे, जिसके द्वार पर बंदूक लिये हुये एक संतरी खड़ा था। लोहे के बड़े दरवाजे के ऊपर लिखा था पुलिस स्टेशन।

बच्चे वहां पहुँच कर कुछ सहम से गये। हुकुम बोला, ''पिताजी यहां से आगे चलिए।'' पिताजी ने कहा, ''बेटा पुलिस जनता व कानून की सहायता के लिये होती है। इससे तो कानून तोड़ने वाले व अपराधी लोग डरते हैं। तुम्हे डरने की क्या आवश्यकता है?'' यह सुन कर द्वार–पाल मुस्कराने लगा। परंतु फिर भी उसकी बंदूक व बड़ी–बड़ी मूँछें देख कर बच्चे डर रहे थे।

द्वारपाल बोला, ''बच्चों, घबराओ मत। पुलिस से डरने के स्थान पर तुम्हे उनकी सहायता करके अच्छा नागरिक बनना चाहिये।'' उसकी बात सुनकर रोहित बोला, ''क्या हम पुलिस स्टेशन को अन्दर से देख सकते है?'' द्वारपाल ने उत्तर दिया, ''यदि तुम अपना भय भगाना चाहो तो अवश्य देख सकते हो?'' अनुमति पाकर हुकुम के पिता बच्चों को भवन के अन्दर ले गये।

भवन में एक ओर लोहे की मोटी सलाखों के द्वार वाले दो कमरे थे, जिन पर लिखा था ''पुरुष बन्दीगृह'' व ''महिला बन्दीगृह''। उनमें 3 पुरुष व 2 महिलायें बंद थी। वहॉ तैनात पुलिस कर्मियों से पूछने पर उन्होनें बतलाया कि इन्हें चोरी व ठगी के आरोप मे गिरफ्तार किया गया है। हुकुम, रमन से कहने लगा कि इनके बच्चे व परिवार वाले तो इन्हें तलाश कर रहे होगें। यह सुनकर एक पुलिसकर्मी जो अधिकारी पद का लग रहा था, बोला ''बच्चों किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय कानूनी तौर पर उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को गिरफ्तारी की सूचना देना जरुरी है, साथ ही उसे यह भी बताया जाता है कि बन्दी बनाये गये व्यक्ति को कब व किस मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जायेगा ताकि वह चाहे तो उसे जमानत पर रिहा कराने का प्रयास कर सकते है। साथ ही गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को यह बताना भी कानूनन आवश्यक है कि उसे किस अपराध के आरोप मे गिरफ्तार किया जा रहा है।''

रमन व नरेश पूछने लगे, ''थानेदार साहब! आप इन बंदियो को कितने दिन तक बंद रखने की सजा देगें?'' पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन्हें सजा देने का काम तो न्यायालय का है। हमारे लिये तो इन्हें गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना जरुरी है व उनके आदेश से ही इन्हें अधिक समय के लिये बंद रख सकते हैं। तो क्या ये 24 घंटे के बाद छूट जायेगे? आदित्य के इस प्रश्न का उत्तर मिला, हॉ यदि इनकी ओर से प्रस्तुत किये गये जमानत के प्रार्थना–पत्र को मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो जमानत पर छूट सकते हैं, वरना मजिस्ट्रेट के आदेश से पुलिस के पास या जेल मे बंद रहेगें।

इतने में पुलिस स्टेशन पर कोतवाल साहब आ गये व पुलिस अधिकारी बच्चों को एक ओर करके उनको आवश्यक सूचनायें देने लगे। बच्चों का कौतूहल बढ़ चुका था कि आखिर इन बंदियों को कब तक बंद रहना पड़ेगा तथा कौन व कैसे इन्हें इस बन्धन से मुक्त करायेगा ताकि ये अपने बच्चों से मिल सके। हुकुम के पिता ने उनकी जिज्ञासा शांत करते हुये कहा बच्चों यह काम वकीलों का होता है। ''पर इस बंदीगृह में इन्हें वकील मिलेंगे कैसे?'' हुकुम ने प्रश्न किया। पिता जी बोले, ''गिरफ्तार हुये लोगों को कानूनी सलाह प्राप्त करने और अपना वकील नियुक्त कर जमानत पर छूटने का अधिकार भी कानून ने दिया है।'' नरेश ने पूछा, ''पर यदि कोई व्यक्ति इतना निर्धन हो कि वकील की फीस नहीं चुका सके तो?'' इस पर पिता जी बोले, ऐसी परिस्थिति में उस जिले के विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सरकारी खर्चे पर वकील की सेवायें निःशुल्क दिलाई जाती हैं। यह प्राधिकरण जिला न्यायाधीश के कार्यालय मे स्थापित होता है।

यही बातें चल रही थी कि काला कोट धारण किये हुये एक व्यक्ति वहॉ पहुंचा जिन्होने बंदी महिलाओ के सम्बन्ध में न्यायालय के जमानत के आदेश कोतवाल साहब के सामने प्रस्तुत किये। उन्होनें आदेशों को पढ़कर महिलाओ को बंदीगृह से बाहर निकलवा दिया। संयोगवश वे वकील साहब हुकुम के पिता के पुराने मित्र निकले। बातचीत होने पर उन्होंने बताया कि उन्हें सरकारी खर्चे पर ही इन निर्धन महिलाओं की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया गया था।

बच्चों को यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि अब वे महिलायें घर जाकर पुनः बच्चो को संभाल सकेंगी। रमन सहानुभूतिवश कहने लगा कि ये तो सीधी–सादी महिलायें दिखती है। इनसे अज्ञानतावश ही कोई अपराध हो गया होगा। यह सुनकर वकील साहब बोले, ''बेटा, कानून की जानकारी न होना उस अपराध की सजा से क्षमा पाने का कोई आधार नही है। यह तो प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह कानून का पर्याप्त ज्ञान रखे। अतः तुम लोग हमेशा कानूनी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना ताकि अज्ञानतावश भी अपराध न हो।''

हुकुम के पिता व बच्चे भी उन महिलाओं और वकील साहब के साथ ही पुलिस स्टेशन से बाहर आ गये। बच्चों के लिये पुलिस स्टेशन को अंदर से देखने व इस कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी पाने का यह पहला ही अनुभव था, जो उन्हें अच्छा लगा। वे उमंग से आगे बढ़ते हुये बातें करने लगे। रमन बोला, ''मैं तो बड़ा होकर पुलिस अधिकारी बनॅूगा तथा अपराधियो को पकड़कर उन्हें दण्ड दिलवाऊंगा।'' नरेश बोला मैं तो बढ़ा होकर वकील बनूंगा तथा अपराधियो को दंड व निर्दोष व्यक्तियों को न्याय प्रदान करुगां। हुकुम के पिता बच्चों की भोली बातें सुनकर प्रसन्न हो रहे थे।

## जाखी में रौनक आई

आज जाखी गॉव की चौपाल पर उत्सव का सा माहौल है। सभी ग्राम –वासी पुरुष महिलायें व बच्चे चौपाल पर बड़े उत्साह से इकट्ठे हो रहे हैं। सरपंच जी, पटवारी जी, ग्राम सेवक जी सभी मुस्तैद व व्यस्त हैं। इतने में ही थानेदार जी व तहसीलदार जी भी आ पहुॅचे।

रघु पूछ ही बैठा कि आज आखिर माजरा क्या है? तो प्रधानाध्यापक गोपाल बिष्ट जी ने बतलाया कि जिला जज साहब, ए.डी.जे. साहब, डी.एम.साहब, सी.जे.एम. व सिविल जज साहब आज गांव में आ रहे हैं। दो–चार लोगों ने कौतूहल से पूछा कि आज ये सभी किसलिए आ रहे है, तो हेड मास्टर साहब ने बतलाया कि ये बड़े–बड़े हाकिम हमें घर बैठे कानून की जानकारी देने आ रहे हैं। यह पता लगते ही रघु अपने पास–पड़ौसियों को भी वहॉ बुला लाया।

कुछ ही देर में जिला मुख्यालय से सभी न्यायिक अधिकारीगण व जिला जज साहब एवं जिलाधिकारी वहॉ पहॅुच गये। सरपंच जी व प्रधानाध्यापक जी ने माला पहना कर सभी का स्वागत किया और तुरंत ही सभा की कार्यवाही शुरू हो गई।

जिला जज साहब ने गॉववासियों को बड़े ही प्रेम से बतलाना शुरू किया कि सभी अधिकारीगण प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश महोदय तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के आदेश से आप लोगों को रोजना काम में आने वाले कानूनों की जानकारी देने यहॉ आये हैं। उन्होंने कहा कि गांव के लोग कानूनी जानकारी के अभाव में कई गलतियॉ कर बैठते हैं और मुकदमेबाजी में फॅस जाते हैं। इस परेशानी से बचने के लिये आप ऐसे शिविरों का फायदा उठायें।

जज साहब ने यह भी कहा कि अगर कोई गॉववासी पैसे के तंगी के कारण अपना मुकदमा नहीं लड़ पा रहा है और उसकी सालाना आमदनी एक लाख रूपये से ज्यादा नहीं हो तो हम उसे सरकारी खर्च पर वकील भी दिलवा सकतें हैं। उन्होंने एक फार्म भी दिया जिसमें प्रार्थना–प्रत्र लिखकर देने से यह सहायता मिल सकती है। यह भी बताया कि ये फॉर्म जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से मिल सकते हैं, जो जिला न्यायालय में हैं तथा अन्य तहसील अदालतों में स्थित तहसील विधिक सहायता समिति में भी उपलब्ध है।

गॉव के रघु ने पूछा कि और कौन–कौन लोग इस प्रकार की सहायता पा सकते हैं, तो जज साहब ने बताया कि अनूसूचित जाति या जनजाति के लोग, महिलायें, बच्चे, मानसिक रोगी, जेल मनोचिकत्सालय, हिड़जा समुदाय के लोग, वरिष्ठ नागरिक एवं किशोरगृह में बंद लोगों पर सालाना आमदनी की ये शर्त भी लागू नहीं होती हैं और ज्यादा आमदनी होने पर भी सरकारी खर्च पर वकील की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा, जैसे सूखा व बाढ़, भूकम्प आदि से पीड़ित व्यक्ति, औद्योगिक आपदाओं, साम्प्रदायिक हिंसा व नर–संहार की घटनाओं से पीड़ित व्यक्ति भी ये सहायता पा सकते हैं। औद्योगिक,

श्रमिक या बेगारी प्रथा से पीड़ित व्यक्ति भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इतना सुनते ही नन्दू की औरत कमला जिसे नन्दू ने छोड़ रखा था वह फॉर्म लेने हेतु मंच के पास पहुंच गई, जिससे फॉर्म भरवा कर जज साहब ने प्राप्त कर लिया व अगली बैठक में ही उसे सहायता मंजूर कराने का वायदा भी किया। फिर जज साहब ने कुछ खाली फार्म सरपंच जी को दिलवा दिये ताकि वह जरुरतमंद लोगों को दे सकें।

जिला जज साहब ने गॉव वालों को ये भी समझाया कि बिना फीस का वकील मिलने का मतलब यह नही निकाल लेना कि अब बात–बात पर मुकदमा करो बल्कि उन्होंने कहा कि छोटी–मोटी बातों के जो मुकदमें आपके गॉव के लोगों के बीच चल रहे हैं उन्हें आपसी भाईचारे व राजीनामे की भावना से निबटा कर फैसला कर लेना चाहिये। इसके लिये उन्होंने गॉव के मुख्य लोगों का आह्वान किया कि आप लोग इस प्रकार की एक कमेटी बनाओ, जो मूंछ की लड़ाई के अनावश्यक मुकदमों में राजीनामा करवाएं। गॉव वालों ने ये सुनकर उसी सभा में सरपंच जी तथा गोपाल, रघु एवं प्यारे मोहन की एक कमेटी भी घोषित कर दी, जो भविष्य में मुकदमेबाजी का फैसला राजीनामे से करवायेगी।

इस अनोखी सभा की कार्यवाही देखने व सुनने वालो में हेडमास्टर जी का लडका सुरेश भी था जो हाल ही में शहर से कानून की पढ़ाई करके आया था। उसे ये सब देख सुन कर इतना अच्छा लगा कि वह जिला जज साहब के पास आकर बोला, श्रीमान जी यदि इस सेवा कार्य में मुझे भी कुछ जिम्मेदारी सौंपे तो मैं उसे पूरा करने का भरसक प्रयत्न करुंगा। जज साहब ने उसकी पीठ थपथपा कर कहा कि हमें इसी तरह आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने वाले नौजवानों की आवश्यकता है, जो अनपढ़ व असहाय ग्रामीणो में कानूनी ज्ञान की मशाल जलाकर उनकी असहायता व मायूसी को दूर कर सकें। उन्होने घोषणा की कि ये नौजवान जाखी गॉव के विधिक चेतना केन्द्र का इन्चार्ज होगा तथा हमारे सभी कार्यक्रमों को आपके गॉव में आगे बढ़ाएगा। गॉववालों ने करतल ध्वनि से इस घोषणा का स्वागत किया। जज साहब ने सुरेश को कुछ फार्म, पुस्तकें व कानून की किताबें आदि भी दी। इस तरह जाखी गॉव में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न हुआ और साथ ही विधिक चेतना केन्द्र का शुभ मुहूर्त भी हो गया।

## पार्वती की खुशहाली लौटी

इस विधिक साक्षरता शिविर के कुछ ही दिनों बाद गॉव के ईश्वर सिंह की बेटी पार्वती अपने चार वर्षीय बेटे पदम के साथ अचानक ससुराल से गॉव लौट आई। मॉ ने अचानक आने का कारण पूछा तो बताया कि उसके पति व ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। ये भी कहा कि तू दहेज कम लाई है। जब तक अपने पिता से टी.वी. व मोटर साईकिल नहीं लायेगी तब तक घर मे घुसने नहीं देंगे। ईश्वर अपनी बिरादरी के कुछ लोगों को लेकर पार्वती के ससुराल वालों को समझाने भी गया व विनती भी की, परन्तु वे नहीं माने। हारकर ईश्वर ने पंचायत के सामने यह बात रखी। एक पंच न राय दी

कि इस बारे में क्यों न पूरनचंद की राय पूछी जाये। पूरनचंद ने पार्वती से सारी बात सुनकर व जिला जज साहब द्वारा दी गई किताबें देखकर बतलाया कि कानून के अनुसार अगर पार्वती का पति उसे व उसके बेटे पदम को रखने से बिना कारण मना कर देता है और उनके कपड़े, खाने, दवाई, पढ़ाई आदि का खर्चा भी नहीं देता है, तो उसके खिलाफ परिवार न्यायालय में एक प्रार्थना–पत्र पेश करके गुजारे भत्ते की राशि प्राप्त की जा सकती है। जब पार्वती के पीहर वालों को और कोई चारा नजर नहीं आया तो पार्वती की ओर एक प्रार्थना पत्र परिवार न्यायालय में पेश करवाया गया। उसके लिये वकील भी जिला जज साहब द्वारा बतलाये गये प्रार्थना पत्र को भर कर देने पर सरकारी खर्चे से ही मिल गया। वकील साहब के प्रार्थना पत्र पेश करने की अगली ही पेशी पर अदालत ने पार्वती व उसके बच्चे के लिये 500–500 रु. प्रतिमाह का खर्चा दिलाने का आदेश पार्वती के पति को दिया।

फिर कुछ तारीखों पर पर पहले पार्वती की व फिर उसके पति की ओर से गवाहियाँ करवाई गयीं। दोनों तरफ के गवाहों के बयानों पर गौर करने के बाद अदालत ने पार्वती व उसके बच्चे का गुजारा भत्ता बढ़ाकर 1000–1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया।

कुछ महीने तक तो पार्वती के पति ने ये मासिक राशि अदा की, पर बाद में चुका नहीं पाया। पार्वती के वकील साहब ने दरख्वास्त पेश करके कुर्की की कार्यवाही करवा दी। जब पार्वती के ससुराल वालों की जमीन व मकान की कुर्की का नम्बर आया तो उन्हें गुजारे भत्ते की सारी राशि एक मुश्त चुकानी पड़ी। अब पार्वती एवं उसके बच्चे के रोजना के खर्चे व गुजारे के लिए कोई आर्थिक तंगी नहीं थी। उधर उसका पति व ससुराल वाले हर माह गुजार भत्ता चुकाने में परेशान थे। उनके घर व खेत–खलिहान का काम करने वाली बहू भी नहीं थी। सारा काम पार्वती की बूढ़ी सास करते–करते परेशान थी। आखिरकार थक हार कर पार्वती का पति व ससुर ईश्वर के पास गये व अपने किये की माफी माँगते हुये राजीनामा कर लेने की बात कही। जब पार्वती के पति ने पार्वती को राजी खुशी व बिना दहेज के साथ रख लेने का वायदा किया तो भला पार्वती व उसके पिता ईश्वर को क्या आपत्ति हो सकती थी? इस प्रकार कानूनी मदद से पार्वती का घर पुनः राजी–खुशी बस गया।

## औलाद का फर्ज

दुग्गड़ा गाँव के कुदंन की शहर में अच्छी नौकरी थी। वह अपनी पत्नी व बाल–बच्चों सहित ठाठ से शहर में रहता था। उसके बूढे माँ–बाप गांव मे रहते थे। वे थोड़ी सी कृषि भूमि में खेती बाड़ी करके गुजर–बसर करते थे। परन्तु गत 2–3 वर्षो से अच्छी वर्षा न होने से उनके गुजारे का कोई जरिया न रहा। उन्होंने कुंदन को अपनी तकलीफ भी बतलाई, पर उसने भी शहर के खर्च अधिक बतला कर अपने माँ–बाप की सहायता करने से इंकार कर दिया। गॉव वाले भी इन बूढ़े लोगों को कब तक सहारा देते ?

आखिर ये बात लैन्सडाउन के विशन सिंह की जानकारी में आई। उसने कुंदन के माँ–बाप की ओर से अदालत में गुजारे भत्ते का प्रार्थना पत्र उसके कमाऊ बेटे के खिलाफ पेश करवाया। कानून में ऐसी व्यवस्था है कि यदि कमाने में सक्षम कोई पुत्र या पुत्री अपने माँ–बाप की देखभाल न करे, उन्हें भोजन–कपड़ा, दवाई आदि न दे तो अपनी देखभाल स्वयं कर पाने में अक्षम माँ–बाप को भी गुजारा भत्ता दिलाया जा सकता है। इसी कानून के अनुसार अदालत ने कुदंन को आदेश दिया कि वह अपनी आय में से प्रतिमाह अपने माँ–बाप के लिये 1000–1000 रुपये का गुजारा भत्ता भेजे। ऐसी भी व्यवस्था अदालत ने कर दी कि कुंदन की तनख्वाह में से ही ये राशि काट कर मनीआर्डर द्वारा सीधे उसके माँ–बाप को भेज दी जाये। अब तो दोनो बूढ़े व्यक्तियों का बुढ़ापा ठीक तरह से कटने लगा। कुदंन की पत्नी भी इस व्यवस्था में कोई अड़चन न डाल सकी। हार कर उसने कुंदन को कहा कि अपने बूढे माँ–बाप को भी शहर में लाकर अपने साथ ही रख लो। इस प्रस्ताव पर सभी सहमत थे। इस तरह विशन सिंह की कानूनी राय से यह परिवार भी हंसी–खुशी आबाद हो गया।

उपरोक्त कानूनी प्राविधानों के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा एक नया अधिनियम माता–पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण तथा कल्याण हेतु वर्ष 2007 में पारित किया है। इस अधिनियम का नाम है माता–पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण एवम् कल्याण अधिनियम, 2007। इस अधिनियम के अन्तर्गत न केवल बच्चों अपितु ऐसे वरिष्ठ नागरिकों जिनके कोई बच्चा नहीं है, उनके रिश्तेदारों का भी दायित्व निर्धारित किया गया है कि वह माता–पिता या वरिष्ठ नागरिकों, जैसा भी मामला हो, को भरण–पोषण प्रदान करेंगे। ऐसे भरण–पोषण को प्राप्त करने के लिए भरण–पोषण प्राधिकरण का गठन किया गया है तथा इस प्राधिकरण में एस0डी0एम0 स्तर से निम्न स्तर का कोई अधिकारी नहीं बैठेगा तथा इसकी अपील अपीलीय अधिकारी को की जा सकेगी जिसमे जिलाधिकारी स्तर के व्यक्ति बैठेंगे।

भरण–पोषण न देने पर भरण–पोषण प्राधिकरण अपने आदेश को लागू करवा सकता है तथा इसके लिए भरण–पोषण अदा न करने वाले व्यक्तियों को सजा भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में यह भी प्राविधान दिया गया है कि सरकारी तथा सरकार से पोषित अस्पताल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाऐं प्रदान की जायेगी तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार का यह भी दायित्व है कि वह ऐसे कार्य करे कि जिससे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन तथा उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा की जा सके।

यह भी प्राविधान दिया गया है कि यदि किसी वरिष्ठ नागरिक ने अपनी सम्पत्ति को इस अधिनियम के आने के बाद किसी को दान अथवा किसी ओर तरीके से अतंरित कर दी है और इस शर्त के साथ की सम्पत्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसको समस्त मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध करायेगा तथा बाद में वह व्यक्ति सुविधा देने से मना करता है तब उस परिस्थिति में सम्पत्ति का अन्तरण छल तथा दबाव से माना जाएगा

और वरिष्ठ नागरिक के पास यह अधिकार है कि वह भरण–पोषण प्राधिकरण के पास जाकर उक्त विक्रय को खण्डित करवा लें।

यहां पर यहा भी महत्वपूर्ण है कि यदि किसी वरिष्ठ नागरिक के भरण–पोषण का अधिकार किसी सम्पत्ति से है और वह सम्पत्ति अतंरित कर दी जाती है तो वरिष्ठ नागरिक अन्तरण से प्राप्त करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी भरण–पोषण प्राप्त कर सकता है।

धारा–24 में इस बात का उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे वरिष्ठ नागरिक को जिसे संरक्षण की आवश्यकता है, को, किसी स्थान पर पूर्ण रुप से त्याग कर देता है, तो उस परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति को 3 माह की सजा या 5 हजार रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते है। इस अधिनियम के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त कार्यों पर स्टे देने का सिविल न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार नही है।

## बहू एवं उसके कानूनी अधिकार

पंडित अमरमणि जी की बेटी पुष्पलता कुछ दिनों पहले ससुराल से लौटी थी। अभी 1 साल पहले ही उसकी शादी पड़ोस के गाँव में हुई थी, पर 1 साल में ही वह सूख कर कांटे जैसी हो गई। इस बार भी जब मायके आई तो टी.वी. की मरीज जैसी पीली हो रही थी। पंडिताइन को पुष्पलता ने बतलाया कि सास व ननद का व्यवहार अभी भी ठीक नही रहता है। बात–बात पर ताने देना, समय पर खाने को न देना, हर समय घर का काम करने पर भी भला–बुरा कहना व कम दहेज लाने के लिये कोसना अभी भी जारी है। इस बार भी पुष्पलता की सास ने कह कर भेजा है कि 2 तोला सोने के जेवर, कपड़े, टी.वी. के लिये 15,000 रुपये लेकर आना, वरना मत आना।

ये बातें जब गांव वालो को पता लगी तो सभी को बुरा लगा। पंडित जी बेचारे कहाँ से इतने रुपये की व्यवस्था कर पायेंगे। पहले भी वे अपने सामर्थ्य से अधिक खर्चा कर चुके थे। चौपाल पर जब इसी बारे में चर्चा हो रही थी तो कग्साली गांव के भीमदत्त भी उधर से गुजरे। उन्होंने सारी बातें सुन कर कहा कि पुष्पलता के ससुराल वालों का यह व्यवहार तो कानूनी अपराध है। उन्होंने बतलाया कि शादी से पहले, शादी के समय या बाद में ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की माँग करना या दहेज देना, लेना तथा इसके लिये किसी पक्ष पर दबाव डालना कानूनी अपराध है। पर यदि लड़की के माँ–बाप या रिश्तेदार अपनी हैसियत के मुताबिक व राजी –खुशी अपनी लडकी को कोई उपहार देते हैं तो ये अपराध नहीं है। लेकिन नियमानुसार ऐसे उपहार या भेंट की सूची बनानी जरुरी है। भीमदत्त ने बताया कि यदि ससुराल पक्ष का कोई रिश्तेदार शादी के बाद अपनी बहू के साथ जान–बूझकर ऐसा क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता है जिससे उसकी शारीरिक या दिमागी हालत को खतरा या नुकसान हो तो ऐसे लोग तीन वर्ष तक की सजा के

भोगी होते है। इसके अलावा यदि ससुराल वाले दहेज की गैर कानूनी माँग पूरी करने हेतु लड़की के मायके वालों पर दबाव डालने के लिये बहू को परेशान करें या सताएँ तो उन्हें भी तीन साल तक की सजा व जुर्माना हो सकता है। इस कानून के अनुसार पुष्पलता के ससुराल वाले तीन वर्ष तक की सजा के भागी हो सकते है।

वहाँ बैठा गोविन्द बोला, "भैया रहने दो ये बातें। पिछले साल तो चम्पा के ससुराल वालों ने दहेज की माँग पूरी न होने पर उसे जिन्दा जला दिया, फिर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा।"

भीमदत्त ने समझाया कि हो सकता है उनके खिलाफ ठोस सबूत न मिलने के कारण वे बच गए हो, पर कानून के अनुसार अगर किसी महिला की शादी के 7 वर्ष के भीतर जलने से, चोट लगने से, कुएँ में कूद जाने से अर्थात् किसी भी असामान्य परिस्थिति में उसकी मृत्यु हो जाती है और यह प्रमाणित हो जाता है कि उसकी मृत्यु से तुरन्त पहले उस महिला को दहेज की माँग के लिये या इस संबंध में उसके ससुराल वालों द्वारा परेशान किया जाता था, तो यह माना जाएगा कि दहेज के कारण ही उसकी मृत्यु हुई है और उसे परेशान करने वालों को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती हैं।

श्यामदत्त कहने लगा कि ऐसी दशा में भी ससुराल वाले यह कह कर बच सकते हैं कि बहू ने खुद ही आत्महत्या कर ली हमने तो कुछ नहीं किया। तो भीमदत्त ने बतलाया कि अगर किसी ने आत्महत्या भी की हो और यह साबित हो जाए कि अमुक व्यक्ति द्वारा परेशान या मजबूर किए जाने के कारण उसने आत्महत्या की है तो भी उस व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सजा व जुर्माना हो सकता है।

श्यामा बोली की पड़ोस के एक गाँव में तो पूरा दहेज न लाने पर ससुराल वालों ने बहू को घर से बाहर निकाल दिया व अपने लड़के की दूसरी शादी करके खूब दहेज वसूल किया तथा पहले वाली बहू का दहेज, जेवर व कपड़े भी अपने पास रख लिए। ऐसी दशा मे बेचारी लड़की अपने मायके में जिन्दगी गुजारने को मजबूर है। भीमदत्त ने कहा कि ऐसी स्थिति में कानून की व्यवस्था की गई है। यदि कोई लड़का शादीशुदा होते हुए भी अपनी पत्नी के जिन्दा रहते हुऐ दूसरी शादी कर लेता है तो वह लड़का व दूसरी शादी करवाने वाले उसके माता–पिता व अन्य रिश्तेदार भी कानूनन दोषी है, जिन्हें 7 वर्ष तक की सजा व जुर्माना हो सकता है। अगर वह लड़का अपनी पहली शादी की बात छुपाते हुऐ दूसरी शादी करता है तो उसकी सजा 7 वर्ष के बजाए 10 वर्ष तक हो सकती है। यदि लड़की व उसके माता–पिता, लड़के की पूर्व शादी होने की तथा उसकी पहली पत्नी के जिन्दा रहने की जानकारी होते हुए भी उस शादीशुदा लड़के से विवाह करते हैं तो वे भी सजा के भागी होंगे। इस प्रकार दूसरी शादी करने वाले प्रत्येक पक्ष को सजा की व्यवस्था है।

इस पर धन सिंह बोला, "लेकिन उस मजबूर लड़की को तुम्हारे कानून से क्या मदद मिली, जिसे ससुराल वालों ने घर से निकाल कर बाहर कर दिया?" तो भीमदत्त बोला कि उसके गुजारे हेतु मदद करने

की व्यवस्था भी कानून में है। सबसे पहले तो वह लड़की और यदि उसके कोई बच्चा है तो वह भी अपने पति अथवा पिता से बिना कारण उन्हें घर से बाहर निकाल देने व उनका भरण–पोषण न करने पर गुजारा भत्ता हेतु प्रार्थनापत्र पेश करके अदालत के द्वारा भत्ता प्राप्त कर सकते है। दूसरे, उस लड़की के दहेज का जो सामान ससुराल वालो ने रोक लिया था वह स्त्रीधन होने के कारण उस पर स्त्री का ही हक होता है। अतः उसे भी वापस प्राप्त कर सकती है। अब बताओ, बहू को घर से बाहर निकालने वाला पति व ससुराल पक्ष के लोग फायदे में रहे या नुकसान में?

सभी लोगों को समझ में आ गया कि वास्तव में ऐसा अपराध करने वाला तो नुकसान में ही रहेगा। पर लोग कहने लगे कि भैया भीमदत्त, तुम जो कानूनी जानकारी देते हो उससे तो लगता है कि कानून में सभी दोषपूर्ण कामों की सजा है। लेकिन रोजाना की जिन्दगी में देखते है कि बहुत कम अपराधियों को ही सजा होती है। वे अधिकतर छूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस पर भीमदत्त ने समझाया कि भैया, कानून ये कहता है कि भले ही 100 अपराधी छूट जायें पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। फिर कानून दोष साबित मानने के लिये ठोस सबूत माँगता है और संदेह का लाभ अपराधी के हक में जाता है। ऐसी व्यवस्थाओं में अपराधी को सजा मिलना तभी निश्चित हो सकता है जब कि पुलिस को अपराध होने की सही जानकारी समय पर दें। घटना को बिना बात बढ़ा–चढ़ा कर न लिखें। रिपोर्ट उन्हीं लोगों के खिलाफ दर्ज करायें जो वास्तव मे घटना में शामिल रहे हैं। उस समय मौजूद गवाहों के नाम भी सही तरह से लिखें। इतना ही नहीं पुलिस को भी सभी गवाह व सबूत ठीक प्रकार पेश करें। घटना के मौके की सही जानकारी दें और पुलिस के आने तक उसमें फेरबदल नहीं करें। अपराधियो के डर से या लालच में आकर पुलिस या अदालत के सामने गलत बयान नहीं दें। अगर बयान देने हेतु थाने या अदालत में जाना भी पड़े तो इसे परेशानी न मांने या घबराएँ नहीं। अदालत में तो बयान देने जाने के लिये आने–जाने का व अन्य का खर्चा भी गवाहों को नकद दिलाया जाता है या मानीऑडर से भेजा जाता है। ऐसी स्थिति में अगर हम लोग कानून की सही प्रकार से मदद करेंगे तो कानून भी हमारी मदद करेगा और कोई भी अपराधी दण्ड से बच नहीं पाएगा। फिर हमारा गाँव–मौहल्ला, समाज व देश अपराधों से मुक्त व सुरक्षित रह सकेगा। सभी गाँव वासियों को भीमदत्त की यह बातें समझ में आ गई।

## विधवा को भी मिली विरासत

अगले दिन शाम के समय गाँव के कई लोग पुनः चौपाल पर इकट्ठे थे। तभी वहाँ राधा काकी की बात चल निकली। काकी गाँव की एक बुजुर्ग महिला थीं जिसके पति रामप्रसाद का स्वर्गवास करीब 10 वर्ष पहले बीमारी के कारण हो गया था। दोनों में बहुत प्रेम था। अपने पति रामप्रसाद के बिना राधा काकी को अपनी जिन्दगी बेजान व नीरस सी नजर आई। अतः रामप्रसाद की अर्थी के साथ ही उसे भी जलाकर सती करने के लिये समाज के लोग तैयारी करने लगे। ये सूचना मिलते ही जिला प्रशासन सतर्क हो गया व

गाँव में पुलिस की नाकाबंदी के साथ यह घोषणा करवाई गई कि कानून के अनुसार किसी स्त्री को सती करने हेतु सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने, उकसाने या मजबूर करने वाले को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। यह भी बताया गया कि यदि वह स्त्री वास्तव में सती हो गई तो यह सजा मृत्युदण्ड तक भी हो सकती है। ये कानूनी जानकारी देने व पुलिस के चुस्त प्रबन्ध के कारण राधा काकी को सती होने से बचा लिया गया।

परन्तु 10 वर्षो के बाद राधा काकी को अपने गुजारे व घर खर्च के लिए समस्या खड़ी होने लगी। उसके न तो कोई बाल–बच्चा था और न ही खर्च चलाने का साधन। जमीन–जायदाद भी संयुक्त परिवार की ही थी जिसकी आय में से कोई हिस्सा स्वर्गीय रामप्रसाद के अन्य परिवार वाले राधा काकी को देने को तैयार न थे। इसी विषय पर गाँव की चौपाल में चर्चा चल रही थी तभी वहाँ जसपुर के दीवान भैया भी आ गए। उन्होंने सारी बाते सुनकर बताया कि काकी को भले ही पैतृक सम्पत्ति के बंटवारे के लिये दावा करने का अधिकार नहीं है, परन्तु कानून के अनुसार वह उस सम्पत्ति में रहने व अपने भरण पोषण के लिए सम्पत्ति की आय में खर्चा प्राप्त करने की अधिकारी है। यह अन्य कुटुम्बियों की दया या इच्छा पर निर्भर नहीं है कि काकी को सम्पत्ति में रहने दें अथवा नहीं या उसकी आय में से गुजारे हेतु खर्चा दें अथवा नहीं दें। बल्कि इसे प्राप्त करना राधा काकी का कानूनी अधिकार है। उन्होंने ये भी बताया कि जब भी परिवार के अन्य सदस्य अपनी पैतृक सम्पत्ति का बंटवारा करेंगे तो उसमें राधा काकी का भी हिस्सा नियमानुसार अलग करके देना होगा। अगर राधा काकी के कोई बेटी होती तो उसकी शादी का खर्चा भी संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में से किया जाता।

फिर दीवान भैया ने राधा काकी को जानकारी दी कि रामप्रसाद काका की मृत्यु के बाद पैतृक सम्पत्ति में उनका जो हिस्सा था, वह कानूनन उनके पुत्र, पुत्रियों, विधवा व माता में बंटने योग्य है। उस श्रेणी का अन्य कोई वारिस न होने पर ये सारा हिस्सा राधा काकी को ही मिलने योग्य है। इस प्रकार कानून ने न केवल राधा काकी को सती होने से रोका है बल्कि उन्हें पैतृक सम्पत्ति में अधिकार भी दिए हैं ताकि उनका गुजारा उचित प्रकार से हो सके।

चौपाल पर मैाजूद लोगों को दीवान भैया ने जानकारी दी कि हिन्दू उत्तराधिकार कानून के दिनांक 17 जून 1956 को लागू हो जाने के दिन से जो सम्पत्ति जिस स्त्री के कब्जे में थी, वह उसकी पूर्ण मालिक मानी जाएगी। ऐसी सम्पति में भरण पोषण या उसके बकाया के रूप में प्राप्त हुई सम्पत्ति, विवाह के समय या उसके पहले या बाद में उपहार व दान में मिली सम्पत्ति या उसके कौशल या परिश्रम के द्वारा कमाई गई या खरीदी गई सम्पत्ति शामिल हो सकती है। कोई भी महिला उपरोक्त प्रकार की सम्पत्ति का मनचाहा उपभोग या उसकी वसीयत, दान, बंटवारा या बेचान आदि कर सकती है।

इसी कानून के अनुसार स्त्रियों को सम्पत्ति में उत्तराधिकार भी प्रदान किया गया है इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति बिना वसीयत किए मर जाता है तो उसकी स्वयं द्वारा कमाई गई सम्पत्ति के लिये उसके पुत्र, पुत्री, विधवा या माता को भी उत्तराधिकारी माना गया है। इस प्रकार रामप्रसाद काका के द्वारा स्वयं कमाई गई सम्पत्ति में राधा काकी का हक है।

जब स्वर्गीय रामप्रसाद काका के अन्य कुटुम्बियों व भाई भतीजों को यह जानकारी हुई कि राधा काकी तो कानूनन भी हमारी पैतृक सम्पत्ति व रामप्रसाद की स्वयं अर्जित सम्पत्ति में से अपना हिस्सा प्राप्त कर सकती है तो वे शांत हो गए व राजी–खुशी उन्हें पैतृक घर में रखने वा उनकी इच्छानुसार खर्चे हेतु राशि देने को तैयार हो गए। तब उन्हें लगा कि विधवा की जिन्दगी भी बिना पतवार की नाव जैसी नहीं है, जिसे जो जहाँ चाहे धकेल दें।

## बच्चों की शादी है बरबादी

हरेला त्यौहार आने वाला है। जैंती गाँव में चारों और खुशी व उत्साह का वातावरण है। इस बार फसल भी बहुत अच्छी होने से सभी कृषक भाई बहुत खुश हैं। नए–नए कपड़े व सामान की खरीददारी हो रही है।

दीनानाथ भी आज शहर जाकर बहुत सारे कपड़े, सन्दूक, आलमारी, टी.बी. आदि खरीद कर लाया। घर जाते समय रास्ते में लोगों ने पूछा कि काका, क्या बात है बड़ी खरीददारी कर लाए तो वह बड़े जोश मे बोला कि इस हरेला उत्सव पर अपनी बिटिया ममता की शादी कर रहा हूँ इसलिए धीरे–धीरे सामान जुटा रहा हूँ।

शाम को चौपाल पर ममता की शादी की चर्चा होने लगी। हरिप्रसाद व प्यारेमोहन ये बातें कर ही रहे थे कि तभी नारायण भैया भी वहाँ आ गए। उन्होंने पूछा कि हरिप्रसाद भैया, दीनानाथ भैया की लड़की तो अभी छोटी है। उनकी शादी अभी से हो रही है क्या? इतने में दीनानाथ भी वहाँ आ गया। वो बताने लगा कि हाँ भैया, एक अच्छा संबंध मिल गया है तो मैंने सोचा कि क्यों न इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं? सभी दीनानाथ की हाँ में हाँ मिलाने लगे। पर प्यारेमोहन भैया ने इसका विरोध किया। वह बोला "भैया, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। तुमने अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने की बात सोच ली। पर क्या ये सोचा है कि तुम 13–14 साल की ममता पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ लाद रहे हो? क्या वह अभी से घर गृहस्थी व बच्चों का बोझ व जिम्मेदारी उठा पाएगी। अभी तो खुद उसकी आयु खेलने–कूदने व पढ़ने की हैं।"

नारायण भैया भी बोले कि दीनानाथ भैया, इस आयु में ममता के विवाह की गलती भूल कर भी मत करना। प्यारेमोहन जो कह रहा है, वह बातें तो सही है ही। पर क्या आपको मालूम नहीं कि जो काम आप

करने जा रहे हो, वह कानूनी अपराध भी है। कानून के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के लड़के व 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह करना अपराध है जिसमें 3 माह तक की सजा की व्यवस्था है। यदि आपने ममता की शादी कम आयु में कर दी तो न केवल आप इस सजा के भागी होंगे, बल्कि उस विवाह में शामिल होने वाले तथा विवाह के फेरे करवाने वाले पंडित को भी सजा हो सकती हैं।

ये सुनकर दीनानाथ घबरा गया। वह बोला कि भैया संबंध पक्का हो गया है व शादी की तैयारी भी हो गई है। कुछ तरीका बतलाओ की गुपचुप में ही ये विवाह हो जाए। नारायण भैया बोले मेरी मानों तो तुम अभी ये विवाह ही छोड़ दो। यदि किसी को कम आयु के विवाह की जानकारी हो तो वह अदालत में दरख्वास्त पेश करके ऐसे बाल विवाह के खिलाफ स्टे (रोक) आदेश भी प्राप्त कर सकता है। ऐसे में तुम्हारी सारी तैयारी धरी रह जायेगी और कहीं ऐसा न हो कि दरवाजे पर आई बारात बहू विदा करवाए बिना ही लौट जाए।

दीनानाथ ने सोचा कि यदि ऐसा भी हो सकता है तब तो भलाई इसी में है कि ममता की शादी अभी नहीं की जाए। अन्य सभी मौजूद लोगों ने भी सारी बातें जानकर व सोच–समझ कर उसे यही राय दी। सभी बातें सोच कर दीनानाथ ने लड़के वालों को खबर करवा दी कि जब ममता 18 वर्ष की हो जायेगी तभी वे शादी करेंगे। दीनानाथ की ये बात सुनकर रिखणीखाल में किसी ने भी आइन्दा बाल विवाह न करने की कसम उठा ली।

## कानून बना पशुओं का रक्षक

गॉव के बच्चे शाम को खेलकर घर लौटे तो चौपाल पर बताया कि गॉव के बाहर सुनसान जगह पर 3–4 अजनबी लोग 15–20 गाय–बछड़ो के साथ आए हुए हैं और उन्हे कहीं बाहर ले जाने की तैयारी कर रहे है। चौपाल पर मौजूद राधेश्याम, महेश व मंगल ये खबर सुनकर चौंके और तुरन्त वहॉ पहॅुच कर सही स्थिति की जानकारी करने की योजना बनाई। जब तक ये 10–12 लोग बच्चों के साथ उस जगह पर पहॅुचे तब तक वे अजनबी जो गाय–बछड़ो के साथ थे, वहॉ से भाग चुके थे। पर गाय व बछड़े वही मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों की योजना इन गाय–बछड़ो को कसाई खाने ले जाने की थी।

अब समस्या यह खड़ी हो गई कि इन गाय बछड़ो का क्या किया जाए। यदि गॉव वालों ने इन्हे अपने घरों पर बॉध लिया और ये चोरी के जानवर हुए तो बिना बात पुलिस के चक्कर मे फंसेगे। इसी समय बदरीलाल भैया भी उधर आ गए। सभी ने इस समस्या का हल उनसे जानना चाहा। सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें देखकर उन्होंने राय दी कि हमें इस घटना की जानकारी तहसीलदार जी व थानेदार जी के मार्फत जिले के कलेक्टर साहब को भेजनी चाहिए। राज्य के गोवंश अधिनियम के तहत उन्हें ही ऐसे पशुओ को उचित स्थान पर रखने का आदेश देने का अधिकार है। इस राय पर अमल किया गया और

कलेक्टर साहब ने आदेश दिया कि इन सभी मवेशियों को गौशाला मे रखवा दिया जाए और साथ ही उन्होनें गॉव वालो को इतनी संख्या में गाय व बछड़ो को बचाने के लिये शाबासी भी दी।

इसी घटना के दौरान बदरीलाल भैया ने जानकारी दी कि हमारे राज्य मे गऊ अथवा गौ वंश जैसे गाय, बछड़े, बछिया, बैल आदि को जान–बूझकर मारने या मारने के आशय से राज्य के बाहर भेजने को गंभीर अपराध माना गया है, जिसकी सजा 10 वर्ष तक हो सकती है। ऐसे पशुओं को जान–बूझाकर चोट पहुॅचाने या इनका अंग–भंग करने को भी सजा से दण्डनीय अपराध माना गया है। यहॉ तक के गऊ–वंश का मॉस बेचना, लाना ले जाना भी अपराध है।

यह सुनकर महेश ने प्रश्न किया कि अगर अकाल के कारण गाय व बछड़ों के लिये चारे–पानी की व्यवस्था न हो सके और इस कारण उन्हें अपने राज्य से बाहर जाना पड़े तो क्या यह भी सजा के योग्य माना जाएगा। इस प्रकार भैया ने बताया कि ऐसा काम अपराध नहीं हैं, पर इन परिस्थितियों में गऊ–वंश को राज्य से बाहर ले जाने के लिये पहले जिला कलेक्टर महोदय से अनुमति व परमिट प्राप्त करना आवश्यक है। वरना इन पशुओं को ले जाने वाला दण्ड का भागी होगा।

राधेश्याम ने कहा कि इसका मतलब तो सरकार ने न केवल आदमियों बल्कि जानवरो के बारे में भी कानून बना रखे है, तो बदरीलाल भैया बोले कि यह मत समझना कि जानवर बोल नही सकते तो इन पर कोई भी अत्याचार कर सकता है। सरकार ने इनकी रक्षा के लिये भी अनेक कानून बनाये हैं। न केवल गऊ–वंश, अन्य सभी जानवरों के उचित रख–रखाव और उनके दुःख–दर्द रोकने के लिये सरकार ने पशु कल्याण बोर्ड भी बनाये हैं। पालतू जानवरों पर जरुरत से अधिक बोझ लादना, उन्हे मारना–पीटना, कष्ट पहुंचाना, हानिकारक दवायें देना, छोटे से पिजरें में व छोटी सी चेन से बॉधकर रखना, खाना–पानी या छायापूर्ण स्थान नहीं देना, बीमार जानवरों को लावारिस छोड़ देना भी कानूनी अपराध है।

मंगल कहने लगा कि पहले तो पशु–पक्षियों की बलि देने की प्रथा थी, तो क्या अब वह भी कानूनी अपराध है? इस पर बदरीलाल भैया ने समझाया कि अब मंदिर या अन्य स्थानों पर किसी पशु–पक्षी की बलि नही  दी जा सकती। बलि देना अब कानूनी अपराध है। ऐसी बलि देने की तैयारी की जानकारी होने पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा स्टे (रेाक) आदेश दिया जा सकता है। इसके बावजूद भी बलि देने पर एक वर्ष तक की जेल या एक हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

राजेन्द्र सिह ने प्रश्न किया कि गऊ–वंश तथा पालतू जानवरों की रक्षा के लिये ही तो कानूनी पाबंदी लगाई है। परंतु जंगली जानवरों व पक्षियों के शिकार पर तो कोई पाबंदी नही होगी। बदरीलाल भैया ने बताया कि ठाकुर साहब अब शिकार करने के भी दिन नही रहे। सरकार ने जंगली जानवरों जैसे हिरण, चीतल, सांभर, नीलगाय, चौसिंधा, शेर, रीछ, बघेरा, लोमडी, गीदड, भेड़िया जरख आदि तथा जंगली पक्षियों जैसे तीतर, बटेर, बतख, फाख्ता, जंगली मुर्गी, तिलोर, सारस, नीलकंठ, बया, बुलबुल, बगुला, कोयल आदि

को पकड़ने, मारने, शिकार करने व उनका मॉस, खाल, बाल आदि बेचने हेतु निकालने या रखने पर पाबंदी लगा दी है। राज्य में कुछ जंगलों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, जहां ऊपर बताये गये कार्यों पर पूरी तरह पाबंदी है।

राधेश्याम ने पूछा कि भैया अगर जानवरों द्वारा खेतों व फसल को बरबाद किया जाये तो उन्हें रोकने के लिये भी कोई रास्ता है या नही? इस बार बदरीलाल ने बतलाया कि फसल को बचाने के लिये या अपनी खुद की रक्षा हेतु अगर कोई व्यक्ति जानवरों को पकड़ता है व उसके द्वारा जानवरों को मारना जरुरी हो जाता है, तो इसे कानून में अपराध नही माना गया है ।

सभी ग्रामवासियों ने ये कानूनी जानकारी प्राप्त होने पर प्रतिज्ञा की कि वे आइंदा किसी पशु, पक्षी या जानवर को नहीं मारेगे व न ही सतायेंगे और यदि ऐसा करता हुआ कोई पाया गया तो उसे भी रोकेगें।

**मोटर टक्कर ने उजाड़ा, कानून ने बसाया**

हिम्मतपुर में अचानक एक दुःखद हादसा हो गया। लाल सिंह नौकरी पर जाने हेतु साईकिल से जा रहा था कि अचानक सामने से तेज रफ्तार से आते हुये ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके पीछे जा रहे लोगों ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, पर ट्रक ड्राईवर तो और तेज गति से भाग गया। फिर भी पीछे आ रहे सतनाम ने ट्रक का नम्बर अपनी डायरी में नोट कर लिया।

इस दुर्घटना की खबर सुनकर लाल सिंह के घर मे कोहराम मच गया। वह अपने बूढे मॉ–बाप का इकलौता बेटा था। उसके परिवार में भी एक पत्नी व दो बच्चे थे। इस प्रकार कुल 5 व्यक्तियों का पेट भरने वाला वही एक अकेला था। खैर, ईश्वर के आगे हार मानते हुये रीति–रिवाज के अनुसार सभी क्रिया–कर्म सम्पन्न हुये। कुछ दिन बीतने पर घर मे खाने के फाके पड़ने लगे। इस दुःख भरे माहौल मे गॉव वालों को करम सिंह की याद आई। करमसिंह ने विधिक साक्षरता की पुस्तकों व अपने कानून ज्ञान के आधार पर बतलाया कि लाल सिंह की मोटरवाहन से हुई मृत्यु के लिये जिला मुख्यालय के मोटर दुर्घटना मुआवजा अभिकरण में प्रार्थना–पत्र पेश करके मुआवजा राशि प्राप्त की जा सकती है।

इस कार्यवाही के लिये सर्वप्रथम लाल सिंह के पिता की ओर से करम सिंह ने पुलिस थाने मे एफ. आई.आर. दर्ज करवाई। इस एफ.आई.आर. में सतनाम द्वारा नोट किया गया दुर्घटना करने वाले ट्रक का नम्बर बहुत काम आया, क्योंकि ये बहुत जरूरी था। इस पर पुलिस ने कार्यवाही करके उस ट्रक के सभी कागजात जब्त किये। इस कागजात की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करके करम सिंह ने वकील साहब के मार्फत मुआवजा राशि हेतु प्रार्थना पत्र पेश करवाया, जिस पर केवल 10 रूपये की कोर्ट फीस ही लगती है। इस बार भी सरकारी खर्चे पर ही वकील साहब की नियुक्ति हुई। क्लेम पेश होने पर जिले की एम0ए0सी0टी0 अदालत ने लाल सिंह के वारिसान को तुरंत 50,000 रूपये की हर्जाना राशि उस इन्श्योरेंस कम्पनी से दिलाने के आदेश दिये जहां से ट्रक का इन्श्योरेस था। वकील साहब ने बतलाया कि दुर्घटना में

मृत्यु न होकर स्थाई अक्षमता यानि अंग–भंग होने, कान आदि अंगो की शक्ति समाप्त होने या सिर अथवा चेहरे पर स्थाई विकृति आ जाने भी मुआवजा राशि तुरंत मिल सकती है। वस्तु या सम्पत्ति मोटर वाहन दुर्घटना मे नष्ट हो जाने पर उसका भी मुआवजा प्राप्त किया जा सकता है ।

ये राशि मिलने से लाल सिंह के परिवार पर छाये आर्थिक संकट के बादल कुछ समय के लिए छंट गए। फिर वकील साहब ने लाल सिंह की आय, दुर्घटना के समय उसकी आयु, आगे के वर्षो में उसे होने वाली संभावित कमाई, उसके ऊपर आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या व उनका खर्च, लाल सिंह की मृत्यु से उनके परिवार के सदस्यों को पहुचें मानसिक आघात व दुःख आदि के बारे में प्रमाण पेश किए व बयान करवाए। एम0ए0सी0टी0 अदालत ने इंश्योरेंस कम्पनी को भी अपनी सफाई में गवाही पेश करने का अवसर दिया। फिर दोनों पक्षों की गवाही को देखकर फैसला सुनाया कि इंश्योरेस कम्पनी लाल सिंह की मृत्यु के मुआवजे के रूप में चार लाख रूपये की राशि अदा करे जिसमें दो लाख रूपये उसके बच्चों के नाम बैंक में फिक्स्ड डिपोजिट में रखे जाएॅं, जो उनके बालिग होने पर उनके उपयोग हेतु दिए जायेंगे।

हालांकि लाल सिंह के परिवार के लिए उसकी मौत से होने वाली कमी तो पूरी नही हो सकती थी, पर इस फैसले की राशि से लाल सिंह की आय की कमी तो पूरी हो गई और यह परिवार आर्थिक संकट से उबर गया।

## कानून के हाथ ग्राहक के साथ

जगतार सिंह ट्रैक्टर से अपने खेत जा रहा था। बुवाई के समय नजदीक होने के कारण उसने पिछले महीने ही नया ट्रैक्टर खरीदा था। अचानक चलते हुये ट्रैक्टर के इंजन में से धुआं निकलने लगा और वह रूक गया। गॉव के होशियार मिस्त्री, मनजीत सिंह को बुलाकर जगतार सिंह ने ट्रैक्टर चैक करवाया। उसने बताया कि इसकी मशीनरी में ज्यादा खराबी है। ट्रैक्टर नया ही था, अतः जगतार सिंह उसे कम्पनी पर लेकर गया, जहॉ से उसने खरीदा था तो कम्पनी वालों ने मशीनरी की खराबी ठीक करने में 25 हजार रूपये का खर्चा बता दिया। जगतार सिंह ने कहा कि अभी तो ट्रैक्टर गारण्टी पीरियड में है और कम्पनी को ही ठीक करने देने की जिम्मेदारी है परन्तु वे नहीं माने और भुगतान करने पर ही ट्रैक्टर ठीक करने की बात कही।

अब जगतार सिंह बड़े परेशान मन से गॉव लौटा। इधर बुवाई का समय निकला जा रहा था और नया ट्रैक्टर खरीद कर भी वह उसका उपयोग नहीं कर पा रहा था। मरम्मत के लिये उसके पास 25,000 रूपये चुकाने को नहीं थे।

एक–दो दिन बाद जब शाम को गॉव की चौपाल पर जगतार सिंह व 7–8 आदमी इसी दुखड़े की चर्चा कर रहे थे तब अचानक हरप्रीत भैया भी वहॉ आ पहुंचे। सारी घटना की जानकारी होने पर उन्होंने जगतार सिंह को राय दी कि तुम जिला उपभोक्ता मंच मे इस बारे मे शिकायत (परिवाद) पेश कर दो। वहीं

खड़े कल्लू ने पूछा कि इसमे फीस कितनी लगेगी और वकील का कितना खर्चा आएगा। तो हरप्रीत भैया ने बतलाया कि इसकी कोई फीस नहीं लगती है और इसमें वकील करना भी जरूरी नहीं है। शिकायतकर्ता खुद ही अपनी पैरवी कर सकता है। जगतार बोला कि इसके फैसले में न जाने कितना समय लग जाएगा। अतः तुम कोई और तरकीब बतलाओ। इस प्रकार हरप्रीत ने कहा कि जिला उपभोक्ता मंच में पेश होने वाली शिकायतों पर जल्दी ही फैसला हो जाता है क्योंकि इसमें गवाहों को पेश नही करना होता, बल्कि उनके शपथ–पत्रों तथा दस्तावेजों के आधार पर ही फैसला हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि जहॉ तक संभव हो फैसला तीन माह के अन्दर ही करने की कोशिश की जाती है। ये बाते सुनकर तो वहॉ खड़े सभी लोग बहुत खुश हुए और हरप्रीत भैया से इस उपभोक्ता मंच के बारे में तरह–तरह की जानकारी मॉगने लगे।

दाताराम ने पूछा कि जरा विस्तार से बताओ कि इस मंच में किस तरह के मामलों की शिकायत पेश की जा सकती है। तो हरप्रीत भैया ने वहॉ मौजूद सभी लोगों को समझाया कि यदि तुम पैसे देकर कोई चीज खरीदो या कोई सेवा प्राप्त करो तो तुम्हें उपभोक्ता माना जाता है तथा वस्तु बेचने वाले या सेवा देने वाले के द्वारा यदि बेची हुई वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता मे कोई कमी है या अधिक कीमत वसूल की गई है अथवा सेवाओं में कोई कमी या अक्षमता बरती गई है तो ऐसे मामलों में उपभोक्ता मंच के मार्फत हर्जाना भी प्राप्त किया जा सकता है व दोषयुक्त वस्तु को बदलवाया भी जा सकता है अथवा उस दोषयुक्त वस्तु की मरम्मत करवाकर उसे प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु उसके लिये यह जरूरी है कि हम वस्तुऍ खरीदते समय दुकानदार से उसकी रसीद प्राप्त करें, वरना वह दुकानदार इस बात से इंकार कर देगा कि ये वस्तु उसकी ही दुकान से खरीदी गई है। हरजिन्दर ने कहा कि हम आगे से टैक्स बचाने के लालच मे कभी भी वस्तुऍ खरीदते समय रसीद मॉगने से इंकार नही करेंगे।

हरप्रीत भैया ने बतलाया कि उपभोक्ता मंच के सामने बैंक, बीमा, बस ट्रांसपोर्ट कम्पनी, विद्युत मण्डल, आवासन मण्डल, रोडवेज, रेल आदि की सेवाओं में कमी या दोष के खिलाफ शिकायत पेश करके हर्जाना प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जिले के उपभोक्ता मंच के पास 5 लाख रूपये तक के, राज्य के उपभोक्ता आयोग के पास 20 लाख से 1 करोड़ रूपये तक के तथा उसके ऊपर के मामले राष्ट्रीय आयोग के सामने पेश किए जा सकते हैं।

ये जानकारी पाकर सभी गॉववासी बहुत खुश हुए और बोले कि इस कानून के बाद तो अब दुकानदार लोग हमसे नाजायज कीमत वसूल नहीं कर पाएंगे। सभी ने जगतार सिंह को राय दी कि खराब ट्रैक्टर बेचने वाली कम्पनी के खिलाफ तो तुरन्त शिकायत पेश करो।

सभी की राय के अनुसार व हरप्रीत भैया की मदद लेकर जगतार सिंह ने ट्रैक्टर के बारे में उपभोक्ता मंच में शिकायत पत्र पेश किया। उसके व मिस्त्री मनजीत व गॉववालों के शपथ पत्रों के आधार

पर तथा ट्रैक्टर खरीद की रसीद देखकर व उस कम्पनी की बात सुनकर उपभोक्ता मंच ने कम्पनी को आदेश दिया कि जगतार सिंह को ट्रैक्टर कम्पनी अपने खर्चे पर पूरी मरम्मत करके एक माह के अन्दर ट्रैक्टर वापस करे अथवा उसे दूसरा नया ट्रैक्टर दे। इस बीच जगतार को हुए हर्जे के लिये भी मंच ने 5000 रूपये कम्पनी से जगतार सिंह को दिलवाए। इस प्रकार उपभोक्ता कानून के बल पर जगतार सिंह का बिगड़ा हुआ काम बन गया और वह राजी–खुशी अपनी खेती करने लगा।

## कानून की समझ

एक दिन पुनः भगवानपुर गॉव में जिला मुख्यालय से जिला जज साहब, सी.जे.एम. साहब व उनके साथी न्यायिक अधिकारीगण पधारे। आज भी गॉव मे खूब चहल–पहल थी। आज गॉव की चौपाल पर लगे मंच पर अन्य प्रतिष्ठित बुजुर्ग व्यक्तियों के अलावा गॉव में लोकप्रिय हो चुके दीवान भैया भी उपस्थित थे। सभी गॉव वालों ने दीवान भैया द्वारा अपनी कानूनी राय व मदद से गॉव के लोगों के दुख–दर्द दूर करने की जानकारी जज साहबान को दी। उन्होंने प्रसन्न होकर दीवान भैया को शाबासी दी।

आज जज साहबान स्वयं रोजमर्रा के कानूनों की जानकारी देने पधारे थे।

एक मजिस्ट्रेट साहब ने बतलाया कि कानून के अनुसार बिना वैद्य लाइसेंस के कोई आग्नेयास्त्र जैसे बंदूक, पिस्तौल तथा गोली बारूद आदि अपने कब्जे मे रखना या लाना–ले जाना अपराध है जिसके लिए कम से कम एक वर्ष की जेल व जुर्माने की सजा हो सकती है तथा जेल की अवधि तीन वर्ष तक भी हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के ऐसे हथियारो को प्रयोग में ले अथवा उनकी मरम्मत करें बेचे या बनाए तो उसे कम से कम तीन वर्ष व अधिक से अधिक 7 वर्ष तक सजा व जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है। इसलिये गॉव वालों को बिना लाइसेंस लिए ऐसा हथियार अपने कब्जे में नहीं रखना चाहिए एंव ऐसा कोई हथियार धारक हो और उसकी मृत्यु हो जाये तो उसके परिवार वालो को या तो अपने नाम से लाइसेन्स प्राप्त करना चाहिये अथवा यह हथियार सरकार को जमा करवा देना चाहिए वरना उसे भी सजा हो सकती है।

एक अन्य मजिस्ट्रेट साहब ने अपनी बातचीत मे बताया कि इसी प्रकार सरकार के आबकारी विभाग से लाइसेन्स प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति शराब या नशीली दवा आदि आबकारी वस्तुयें बनाने के लिये कोई सामग्री, बर्तन, उपकरण, भट्टी आदि अपने पास रखता है या उनका उपभोग करता है तो वह सजा का भागी हो सकता है। इस प्रकार यदि कोई बिना लाइसेन्स लिये गांजे या भांग की खेती करता है, ताड़ी बनाता है या बिक्री करने हेतु शराब की बोतलें तैयार करता है तो ये भी कानूनी अपराध है। ऐसे लोगो को तीन साल व 2000 रूपया तक जुर्माना हो सकता है।

तीसरे अधिकारी ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुये गांववासियो को बतलाया कि शराब के अलावा जुएंबाजी भी बहुत खराब शौक है जिसे रोकने के लिये सरकार ने कानून बनाया है। इसके अनुसार किसी

सार्वजनिक रास्ते या जगह पर कोई व्यक्ति जुआं खेलता है या पशु–पक्षियो को लड़वाता है या उसमें मदद करता है, तो पुलिस अधिकारी उसे बिना वारण्ट के भी पकड़ सकते हैं तथा उस व्यक्ति के ऊपर 1000 रूपये तक जुर्माना या एक महीने तक की सजा हो सकती है। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई करके शांति भंग करने वाले लोगों को भी इसी प्रकार से दंड दिया जा सकता है।

एक अन्य मजिस्ट्रेट साहब ने जानकारी दी कि दूध, घी, मिर्च, मसालों व अन्य सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलावट करना न केवल सामाजिक बल्कि कानूनी अपराध है। उन्होंने बतलाया कि खाद्य पदार्थों की बिक्री करने के लिए भी लाइसेंस लेना व उसकी शर्तों के मुताबिक ही इन वस्तुओं की बिक्री करना अनिवार्य है। यदि किसी खाद्य पदार्थ की बिक्री पर स्वास्थ्य अधिकारी ने रोक लगा दी है तो उसे बेचना भी अपराध है। उन्होंने बतलाया कि खाद्य निरीक्षक को खाद्य वस्तुओं के सेम्पल लेने से रोकना या उसे अपने गलत नाम व पते बतलाना या उसके साथ मारपीट करना भी अपराध है। यदि सेम्पल की जॉच के द्वारा उस वस्तु में मिलावट होना पाया जाता है तो इस बारे में सूचना मिलने पर उसका विक्रेता सेम्पल की दुबारा जॉच करवा सकता है जो केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा की जाती है। उस जॉच में भी सेम्पल मिलावटी पाये जाने पर विक्रेता के खिलाफ केस आगे चलता है जिसमें दोष पाये जाने पर उसे तीन वर्ष की सजा व 1000 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

यह जानकारी मिलने पर गॉव के सभी दूध विक्रेताओं व खाद्य पदार्थ के अन्य दुकानदारों ने एक स्वर में सभी जज साहब को आश्वासन दिया कि आगे न तो हम बिना लाइसेन्स के खाद्य पदार्थों की बिक्री करेंगे और न ही उनमें मिलावट करेंगे।

आखिर में एक मजिस्ट्रेट साहब ने बतलाया कि आजकल न केवल शहर मे बल्कि गॉव में भी बहुत से लोग मोटर वाहन जैसे जीप, स्कूटर, मोटर साइकिल, ट्रैक्टर, ट्रक, बस आदि रखते हैं परन्तु कई लोग इन वाहनों के सभी दस्तावेज संभाल कर नहीं रखते है या बनवाते ही नहीं। ज्ञान काका ने पूछा कि साहब इनके कौन–कौन से दस्तावेज बनवाना या रखना जरूरी है जरा विस्तार से बतलायें।

इस पर उन्होंने बतलाया कि ऐसे सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन व बीमा प्रमाण पत्र व चालक का लाइसेन्स बनवाना बहुत आवश्यक है। व्यावसायिक उपयोग वाले वाहनों का परमिट एवं फिटनेस प्रमाण पत्र भी बनवाना चाहिए। ऐसे सभी वाहनों का सड़क कर जमा करवाना भी जरूरी है। इन दस्तावेजों का समय पर नवीनीकरण करवाना व बीमा राशि, टैक्स आदि जमा करवाना भी आवश्यक है। यदि वाहन से कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो बीमा के अभाव में उसके मालिक पर ही दुर्घटनाग्रस्त हुये व्यक्ति को हर्जाना देने की सारी जिम्मेदारी आती है, जो बीमा राशि की तुलना में कई अधिक होती है। अतः बीमा करवाना न केवल अन्य व्यक्तियों के लिये बल्कि स्वयं वाहन मालिक के लिये भी फायदेमंद है। उन्होंने यह भी बतलाया कि वाहन चलाते समय चालक को अपना लाइसेन्स सदैव अपने पास रखना चाहिये। किसी पुलिस

अधिकारी या परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा मांगने पर ये दस्तावेज दिखलाना आवश्यक है तथा इसके बिना वाहन चलाना अपराध है।

सरपंच ने गॉव मे पधारे हुये सभी अफसरों को धन्यवाद दिया कि आज आपने हमारे गॉव मे पधार कर कई ऐसे कानूनों की जानकारी दी जिनके अभाव मे गॉववासी कभी भी मुकदमेबाजी मे फंस सकते थे। आगे से हम ध्यान रखेंगे कि हमारे गॉव मे ऐसे कोई अपराध न हों।

## दलितों के अधिकार

प्रतापनगर गॉव का माहौल पिछले कुछ दिनों से तनावग्रस्त था। वैसे तो गॉव में कोई झगड़ा या मारपीट की घटना नही हुई थी पर ऐसी आशंका हमेशा बनी रहती थी कि कभी भी कुछ हो सकता है। कारण यह था कि कोई 15–20 वर्ष पहले सरकार ने ठाकुर साहब के खेतों के पास जो जमीन ऊसर व उबड़–खाबड़ सी थी, उसे अपने कब्जे मे लिया था। खाते में तो वह जमीन सरकार की ही थी लेकिन ठाकुर साहब ने उस पर अपनी बाड़ करवा रखी थी। नये तहसीलदार जी आये तो उन्होंने वह बाड़ हटवाकर जमीन वापस कब्जे में ले ली व दो–तीन साल बाद उसे भूमिहीन लोगों के नाम कर दिया। इस तरह वह जमीन होरी खटिक, रमका हरिजन, दीगू बलाई आदि के नाम हो गयी लेकिन इन लोगों ने तब से इस जमीन पर कोई फसल नहीं की थी और न ही अपनी बाड़बन्दी की थी, पर जब जाटव के पास के खेत में कुछ ही गहराई पर मीठा पानी निकल आया तो ये लोग भी सरकार द्वारा दी की गई इन जमीनों पर एक कुआं खोद कर खेती करने की सोचने लगे। तीनों ने मिलकर बैंक से लोन भी ले लिया। कुआं खोदने के लिये जैसे ही इन्होंने अपनी जमीन पर कार्यवाही शुरू की तो ठाकुर साहब के आदमियों ने आकर उन्हें धमकाया कि अगर ठाकुर साहब की जमीन की ओर ऑख उठाकर देखा तो तुम्हारे हाथ–पैर तोड़ देंगे व तुम्हें बरबाद कर देंगे।

इन लोगों ने ठाकुर साहब की भी मान–मनुहार की कि सरकार द्वारा दी हुई हमारी जमीन पर हमें कुआं खोदकर फसल कर लेने दो, पर वो नही माने। गॉव की पंचायत में भी इन्होंने ये बात उठाई पर वहां भी दो गुट हो गये। एक ठाकुर साहब के पक्ष में और दूसरा होरी, रमका, दीगू के पक्ष का। इसी कारण गॉव में हॅसी–खुशी के माहौल में तनाव आ गया।

सोमदत्त कुछ दिनों के लिये अपने ननिहाल गया हुआ था। जब वह लौटकर आया तो उसे सारा किस्सा जानकर बहुत दुःख हुआ। उसने भी होरी व रमका आदि के कहने पर ठाकुर साहब को समझाने हेतु चौपाल पर एक मीटिंग बुलाई व बतलाया कि अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत ठाकुर साहब का ये काम कानूनी अपराध होगा जिसमें पांच वर्ष तक की सजा व जुर्माना हो सकता है व कम से कम सजा भी छः माह की होगी, पर इस बार सोमदत्त की बातों पर असर होता नजर नहीं आ रहा था। मीटिंग के दौरान सोमदत्त ने गॉव वालों को ये भी बतलाया कि अनुसूचित

जाति व जनजाति के लोगों को बेइज्जत करने के इरादे से उन्हे घृणात्मक पदार्थ जैसे विष्ठा आदि खाने या पेशाब पीने को मजबूर करना, उनके पहने हुये कपड़े उतारना, चेहरा पोतकर घुमाना, घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालने से रोकना, उनके खिलाफ द्वेषपूर्वक कोई झूठी कानूनी कार्यवाही करना या उसमें झूठी गवाही देना भी कानूनी अपराध है। इसके अलावा इन लोगों से बेगार करवाना, बन्धुआ मजदूर बनाना, स्त्री की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला करना या बल प्रयोग करना, उसकी इच्छा के विरूद्ध उसका शारीरिक शोषण या बलात्कार करना भी अपराध है। इन सभी अपराधों के लिये छः महीने की जेल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

ये बातें सुनकर होरी व दीगू कहने लगे, ''भैया कानून तो सरकार ने कुछ भी बना दिये हों, पर कार्यवाही तो कुछ होती नही है। ये सभी कागजी खानापूर्ति ही है। इस पर सोमदत्त भैया बोले, काका ऐसी बात नही है, इस कानून मे तो ये भी व्यवस्था है कि अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी इस कानून को लागू करने मे जान–बूझकर लापरवाही करता है तो उसे भी कम से कम छः महीने व अधिकतम एक वर्ष तक की सजा हो सकती है। ये सुनकर रमका कहने लगा कि अगर पुलिस ने कुछ कार्यवाही की भी तो ठाकुर साहब अपने आदमियों की अग्रिम जमानत करवा लेंगे और फिर हम पर राजीनामा करने को दबाव डालेंगे। इस पर सोमदत्त भैया ने फिर कहा कि घबराने की कोई बात नही है। इस कानून के तहत दण्डनीय अपराधों में न तो अग्रिम जमानत होती है और न ही राजीनामा। इन केसों की सुनवाई भी विशेष न्यायालयों में सेशन जज स्तर के ऊँचे अधिकारी ही करते हैं और दोषी पाये गये व्यक्ति को परिवीक्षा अर्थात् सुधरने हेतु जमानत पर रिहा होने पर फायदा भी नही मिलता है। इस तरह सरकार ने इस कानून के तहत अपराध करने वालो से बड़ी ही सख्ती से पेश आने की व्यवस्था की है।

मीटिंग में मौजूद ठाकुर साहब के लोगों ने उनके पास जाकर उन्हें ये बातें सुनाई तो वह भी घबराये। उन्होंने शहर जाकर एक नामी वकील से सलाह–मशविरा किया तो उन्होंने भी सोमदत्त द्वारा बताई गई बातों को सही होना बतलाया। अब तो ठाकुर साहब के हौसले भी पस्त हो गये। उन्होंने गॉव आकर अपने आदमियों से कोई भी ऐसा–वैसा कदम उठाने को मना कर दिया और आगे बढ़कर होरी, रमका व दीगू को संदेश भिजवाया कि भाई अपनी जमीन पर कुंआ खुदवाकर खेती करो और प्रेम से रहो।

ये संदेश सुनते ही सभी गॉव वाले बहुत खुश हो गये। सारा तनाव छंट गया और हॅसी–खुशी का माहौल लौट आया। अब होरी, रमका, दीगू को भी विश्वास हो गया कि वाकई कानून कागजी खानापूर्ति के लिये बल्कि गरीब व असहाय लोगों की मदद के लिये बनाये गये हैं। बस जरूरत इस बात की है कि लोगो को उनकी पूरी व सही जानकारी हो।

## लोक अदालत व सुख शान्ति

साबली गॉव इस जिले का सर्वाधिक शान्तिप्रिय, सुधारवादी व प्रगतिशील गॉव बनता जा रहा था। पूरे जिले मे इसे आदर्श गॉव के रूप मे मान्यता मिलने लगी थी। पर अचानक इस बढ़ती हुई ख्याति को किसी की बुरी नजर लग गयी। हुआ यूँ कि पुराने स्कूल के पास सेठ करमचंद की जो खाली जमीन पड़ी थी उस पर सार्वजनिक उपयोग के लिये एक धर्मशाला बनाने का प्रस्ताव गॉव वालो ने रखा। उन्होंने ने भी गॉव वालों के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये अपनी जमीन धर्मशाला हेतु दान देने की बात मान ली। शर्त सिर्फ ये रखी कि धर्मशाला बन जाने पर इसका नामकरण मेरे नाम पर किया जाये। गॉव के लोग इस शर्त पर राजी थे।

इसी बीच सरपंच महोदय को विचार आया कि अगर रघुराज सिंह के खेत की जमीन में से इस धर्मशाला के लिये रास्ता मिल जाये तो गॉव के बाहर होकर जाने वाली मुख्य सड़क से ये धर्मशाला जुड़ जायेगी तथा इसकी उपयोगिता और खूबसूरती में भी चार चॉद लग जायेंगे। जब रघुराज काका से इस बारे में गॉव वालों ने बात की तो वे भी तैयार हो गये। गॉव वालों की खुशी की सीमा नही रही। सभी ने रात–दिन एक करके पैसा इकट्ठे किये और धर्मशाला का निर्माण कार्य शुरू हो गया, साथ ही रघुराज काका के खेत से पन्द्रह फीट चौड़ा रास्ता निकालने के लिये कागजी कार्यवाही करवा ली गयी।

जब मौके पर रास्ता बनाने का काम शुरू होना था उससे एक दिन पहले रघुराज काका के लड़के ने उन्हें भड़का दिया कि सेठ जी तो जमीन देकर धर्मशाला अपने नाम करवा रहे है पर आपकी जमीन तो मुफ्त मे जा रही है। रघुराज काका भी उसकी बातों मे आ गये और सरपंच के सामने शर्त रखी कि अगर धर्मशाला मेरे नाम पर बनेगी तो ही मैं खेत में होकर रास्ता बनाने दूँगा।

गॉव वालों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं माने। जब गॉव वालों ने खेत में से रास्ता निकालने का काम शुरू किया तो चौधरी काका ने अदालत मे स्थगन की दरख्वास्त पेश करके काम रूकवा दिया। अब तो गॉव मे गुटबाजी की सी स्थिति हो गयी। बड़ी मेहनत व लगन से शुरू किया गया धर्मशाला का निर्माण कार्य बीच मे ही रूक गया। छः महीने से विवाद चल रहा था इसी कारण साबली के नाम को बट्टा लग रहा था। अदालत मे जब स्थगन के मुकदमें की पेशी आयी तो मजिस्ट्रेट साहब साबली गॉव के नाम को देखकर चौंके। उन्होंने दोंनो पक्षों के वकील साहबान को कहा कि इस गॉव में ऐसा विवाद क्यों हो गया। जब उन्हें सारी बात बताई गयी तो उन्होंने कहा कि इस मुकदमे को तो लोक अदालत की भावना से राजीनामे के जरिये निबटाया जा सकता है। अतः आइन्दा पेशी पर गॉव के सभी संबंधित लोगों को बुलवाया जाये व फाइल को लोक अदालत में रखवाया जाये।

अगली पेशी पर सरपंच महोदय एवं धर्मशाला के निर्माण मे जुटे अन्य सभी लोग अदालत मे पहुँचे। मजिस्ट्रेट साहब ने फाइल लोक अदालत की बैठक मे रखवाई। यहॉ कानूनी बारीकियों से अलग हटकर

दोनों पक्षों मे राजीनामा करवाने की भावना से जनता में प्रतिष्ठित लोगों व जज साहबान द्वारा मुकदमें के पक्षकारों को समझाया जाता है। लोक अदालत द्वारा हुआ फैसला अधिक प्रभावी व शीघ्र हो जाता है और अपील की गुंजाइश न रखने से अंतिम ही होता है। अब दोनों पक्षो की बात सुनकर जज साहब ने रघुराज सिंह व गॉव वालों को समझाया कि जब आप सभी गॉव की प्रगति व भलाई चाहते हैं, तो इतनी सी बात के लिये विवाद क्यों करते हो? विवाद का विषय वही सामने आया कि नाम की लड़ाई है। इस पर जज साहब ने प्रस्ताव रखा कि रघुराज काका अगर आप नाम ही चाहते है तो हम तहसीलदार जी से कहकर आपके खेत मे होकर धर्मशाला तक बनने वाले मार्ग का नाम आपके नाम पर रखवा देंगे तब तो आप तैयार है? यह सुनकर तो रघुराज काका भी प्रसन्न हो गये। अब उनके पास ना–नुकुर करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उनके हॉ करते ही जज साहब ने तहसीलदार जी से अनुमति दिलवा दी और लोक अदालत के माध्यम से राजीनामे के जरिये केस का फैसला कर दिया। गॉव वाले भी इस तुरंत–फुरंत के निर्णय से बहुत खुश हुये व जज साहब को धन्यवाद देने लगे।

जज साहब ने कहा कि इस निर्णय का श्रेय तो लोक अदालत को जाता है। आप लोग इस माध्यम का अधिक से अधिक लाभ उठाइए व इस तरह के मुकदमें लोक अदालत में तय करवाइये, साथ ही ऐसे फौजदारी मुकदमें जिनमें कानूनी राजीनामा करने की इजाजत है, उनमें भी लोगों को तैयार करके राजीनामा करवाइये। इनमें जहॉ दोनों पक्षों का अमूल्य समय व पैसा बचेगा वहीं उनमें आपसी प्रेम व्यवहार बढ़ेगा। गॉव विवाद रहित व आदर्श गॉव बन जायेगा। ये सुनकर तो सभी लोग एक साथ बोल उठे कि हम अपने गॉव को विवाद रहित आदर्श गॉव बनायेंगे। कुछ ही दिनों में उन्होंने मिल–बैठकर अपने सारे विवाद आपसी समझ–बूझ व राजीनामे की भावना से तय कर लिये। इसी बीच धर्मशाला का निर्माण कार्य भी पूरी हो गया। गॉव वाले ने दोनों का उद्घाटन बड़े धूमधाम व जोश–खरोश से किया।

अब धर्मशाला का नाम सेठ करमचंद धर्मशाला व मुख्य सड़क से वहां तक जाने वाले मार्ग का नाम रघुराज सिंह मार्ग रखा गया। पर गॉव वाले उसे लोक अदालत मार्ग के नाम से ही पुकारने लगे जिस पर चलकर प्रेम, स्नेह एवं भाईचारे की प्रतीक धर्मशाला तक पहुंचा जा सकता था।

## विधिक साक्षरता शिविर

**अभिप्राय–** साधारण जनता को आम जीवन मे आने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में कानूनी जानकारी उपलब्ध करवाना।

**उद्‌देश्य–** सरल भाषा में कानूनी ज्ञान देना व सरल भाषा में लिखित कानूनी पुस्तकें एवं सामग्री वितरित करना।

**विधिक सेवायें क्या है–**

- ❖ विधिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राधिकरण व ट्रिब्यूनल के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्ति को कानूनी सहायता देना।
- ❖ सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध करवाना एंव उसकी फीस राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदाय होती है।
- ❖ मुकदमे मे प्रार्थना पत्र तैयार करवाने की फीस, गवाहों को बुलाने का खर्च एवं अन्य खर्चे भी दिये जाते है।

**लोक अदालत क्या है?**

- ❖ विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने का वैकल्पिक मंच है।
- ❖ आपराधिक मामले जिनमें समझौता गैर कानूनी है, वह सभी मामले लोक अदालत के माध्यम से निपटाये जाते हैं।
- ❖ लोक अदालत के निस्तारित मामलों के फैसलों को कानूनी आधार प्राप्त हो गया है एंव ऐसा फैसला सभी पक्षों पर अनिवार्य रूप से लागू होता है।
- ❖ लोक अदालत के फैसले के विरूद्ध किसी भी न्यायालय मे अपील नही की जा सकती है।
- ❖ लोक अदालत मे निस्तारित मामलों में अदा की गयी कोर्ट फीस वापिस लौटायी जाती है।

**लोक अदालत मे मामला कैसे नियत करें :–**

(1) जिस न्यायालय मे आपका मामला विचाराधीन हो उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अनुरोध करें ।

(2) दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से अनुरोध करें

(3) लोक अदालत में वे ही मुकदमे निपटाये जा सकते है जिनमें मुकदमे के सभी पक्षकार सहमत हों।

## विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील
विधिक सेवा समिति,
तहसील – जनपद–

मैं ................................ पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ................................. निवासी ................................. ...................... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ°–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/– (एक लाख रुपया) तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ°(जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
(ग) स्त्री या बालक
(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
(ङ) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ
व्यक्ति।
(च) औद्योगिक कर्मकार
(छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें
(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी
पता –
नाम –

**उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सरल कानूनी ज्ञान माला–1 | उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम |
| 2. | सरल कानूनी ज्ञान माला–2 | पषुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण |
| 3. | सरल कानूनी ज्ञान माला–3 | वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी |
| 4. | सरल कानूनी ज्ञान माला–4 | उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण |
| 5. | सरल कानूनी ज्ञान माला–5 | सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण। |
| 6. | सरल कानूनी ज्ञान माला–6 | महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार |
| 7. | सरल कानूनी ज्ञान माला–7 | वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून |
| 8. | सरल कानूनी ज्ञान माला–8 | भ्रश्टाचार निवारण विधि |
| 9. | सरल कानूनी ज्ञान माला–9 | मध्यस्थम एवं सुलह विधि |
| 10. | सरल कानूनी ज्ञान माला–10 | मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि |
| 11. | सरल कानूनी ज्ञान माला–11 | मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान |
| 12. | सरल कानूनी ज्ञान माला–12 | भरण–पोशण प्राप्त करने की विधि |
| 13. | सरल कानूनी ज्ञान माला–13 | उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि |
| 14. | सरल कानूनी ज्ञान माला–14 | झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि |
| 15. | सरल कानूनी ज्ञान माला–15 | किषोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निशेध विधि |
| 16. | सरल कानूनी ज्ञान माला–16 | मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि |
| 17. | सरल कानूनी ज्ञान माला–17 | बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य |
| 18. | सरल कानूनी ज्ञान माला–18 | नषीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि |
| 19. | सरल कानूनी ज्ञान माला–19 | उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान |
| 20. | सरल कानूनी ज्ञान माला–20 | मजदूरों के कानूनी अधिकार |
| 21. | सरल कानूनी ज्ञान माला–21 | प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य |
| 22. | सरल कानूनी ज्ञान माला–22 | दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया |
| 23. | सरल कानूनी ज्ञान माला–23 | प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 |
| 24. | सरल कानूनी ज्ञान माला–24 | हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार |
| 25. | सरल कानूनी ज्ञान माला–25 | बाल विवाह निशेध अधिनियम, 2006 |
| 26. | सरल कानूनी ज्ञान माला–26 | उपभोक्ता संरक्षण कानून |
| 27. | सरल कानूनी ज्ञान माला–27 | राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 |
| 28. | सरल कानूनी ज्ञान माला–28 | घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 |

29. सरल कानूनी ज्ञान माला–29 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30. सरल कानूनी ज्ञान माला–30 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31. सरल कानूनी ज्ञान माला–31 तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32. सरल कानूनी ज्ञान माला–32 दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला–33 बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला–34 पुलिस षिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला–35 मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36 श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37 उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38 सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39 वरिश्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40 एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41 मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42 षिक्षा का अधिकार– निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43 कानून की जानकारी आखिर क्यों?

**विधिक सेवाएं क्या हैं ?**

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

**निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?**

यदि ऐसे व्यक्तिः–

1– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी नागरिक,
2– संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3– सभी महिलायें एवं बच्चे,
4– सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,

5— बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़ एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसी दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,

6— औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,

7— जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,

8— भूतपूर्व सैनिक,

9— हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,

10— वरिष्ठ नागरिक,

11— एच0आई0वी0/एडस से संक्रमित व्यक्ति,

12— ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 3,00,000/— से कम हो।

**नोट** :— क्रम संख्याः 1 से 11 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

**अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :—**

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

**सदस्य—सचिव** **कार्यपालक अध्यक्ष**

**उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण**
**उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल**